

FACT
CORPORATE OFFICE

GM(HR)-CO-283

12th October, 2018

ALL CONCERNED

Sub: Reconstitution of Managerial Grievance Redressal Committees.

In view of the organizational changes and retirements of senior officers, the Inter-Divisional Grievance Redressal Committee and Corporate Grievance Redressal Committee are reconstituted as follows, with immediate effect.

I. INTER-DIVISIONAL GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Shri Jos T K, GM(Projects&Constrn)/FEDO | - Chairperson |
| 2. | Shri Ajith Kumar T P, GM(OP)/CD | - Member |
| 3. | Shri Manikuttan R, DGM(M)/UC | - Member |
| 4. | Shri Pradeepkumar C, DGM(Fin) | - Member |
| 5. | Smt Maria Varghese, DGM(HR)c | - Convener |

The Inter-divisional Grievance Redressal Committee shall attend to grievances of Sublayer, Layer I & II officers. Grievances shall be forwarded through the Division Heads/Function Heads to Dy. General Manager (HR)c for submission to the Committee. The Committee will deliberate on the grievances and give their recommendations to GM(HR) for appropriate action. If found necessary, the employee concerned will also be given an opportunity to present his/her grievance in person before the Committee. The Officer concerned in HR Department will also be called upon to assist the Committee during the proceedings, if required.

II. CORPORATE LEVEL GRIEVANCE REDRESSAL COMMITTEE

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Shri. Ramakrishnan N, CGM(PC) | - Chairperson |
| 2. | Shri. Kesavan Nampoori A S, CGM(UC) | - Member |
| 3. | Shri. Balakrishnan Nair K V, CS & GM(Fin) | - Member |
| 4. | Smt. Sreelekha Nair, GM(HR) | - Convener |

The Corporate level Committee will attend to grievances of officers in the level of Dy. General Manager and General Manager. Grievances will be routed through the concerned Division Head/Function Head to General Manager (HR) for submission to the Committee. The Committee's recommendation will be put up through the respective Functional Director to CMD for final orders.

Both the Committees will meet for redressal of grievances at a frequency of once in 3 months.

Grievances of CGMs if any, shall be put up through Functional Directors to the CMD.

This has the approval of the Competent Authority.


Sreelekha Nair
General Manager (HR)

cc: All Committee Members
cc: DGM(HR)C :DGM(HR)-MK : DGM(HR)E
cc: All Division Heads / Function Heads
cc: CVO : D(F) : D(M) : D(T)
cc: CMD

(Hindi version follows)

एफ ए सी टी
निगम कार्यालय

म प्र(मा सं)-283

12 अक्टूबर, 2018

सर्वार्थ वृत्त

विषय: प्रबंधकीय शिकायत निवारण समितियों का पुनर्गठन

संगठनात्मक परिवर्तनों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए अंतर संभागीय शिकायत निवारण समिति एवं निगम स्तर शिकायत निवारण समितियाँ निम्न प्रकार तत्काल प्रभावी पुनर्गठित की जाती हैं:

II अंतर संभागीय शिकायत निवारण समिति

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. श्री जोस टी. के., म प्र(परियोजना & निर्माण)फेडो | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री अजित कुमार टी. पी., म प्र(ओ पी)/सी डी | - | सदस्य |
| 3. श्री मणिकुट्टन आर., उ म प्र(एम)/यू सी | - | सदस्य |
| 4. श्री प्रदीपकुमार सी., उ म प्र(वित्त) | - | सदस्य |
| 5. श्रीमती मरिया वर्गीस, उ म प्र (मा सं)स | - | संयोजक |

अंतर संभागीय शिकायत निवारण समिति सब लेयर, लेयर I & II स्तर के अधिकारियों की शिकायतों पर ध्यान देगी। शिकायतें समिति को प्रस्तुत करने के लिए संभाग मुख्यों/कार्य मुख्यों के जरिए उप महा प्रबंधक(मा सं)/स को अग्रेषित की जाएंगी। समिति शिकायतों पर विचार की जाएगी और उचित कार्रवाई के लिए अपनी सिफारिशों को म प्र(मा सं) को देती है। अगर आवश्यक है तो संबंधित अधिकारी वैयक्तिक रूप में उनकी शिकायतों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कार्यवाहियों के दौरान यदि आवश्यक है तो मानव संसाधन विभाग के संबंधित अधिकारी को भी समिति की सहायता करने के लिए बुलाया जाएगा।

III निगम स्तर शिकायत निवारण समिति

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. श्री रामकृष्णन एन., मु म प्र(पी सी) | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री केशवन नंबूतिरी ए एस, मु म प्र(यू सी) | - | सदस्य |
| 3. श्री बालकृष्णन नायर के. वी., कं स & म प्र(वित्त) | - | सदस्य |
| 4. श्रीमती श्रीलेखा नायर, म प्र(मा सं) | - | संयोजक |

निगम स्तर समिति उप महा प्रबंधक और महा प्रबंधक स्तर की शिकायतों पर विचार की जाएगी। समिति को प्रस्तुत करने के लिए शिकायतें संबंधित संभाग मुख्य/कार्य मुख्य द्वारा महा प्रबंधक (मा सं) को अग्रेषित की जाएंगी। अंतिम आदेश के लिए समिति की सिफारिशें संबंधित कार्यकारी निदेशक के जरिए अ प्र नि को प्रस्तुत की जाएंगी।

शिकायतों को निवारण करने के लिए प्रायः तीन महीने के अंतराल में एक बार दोनों समितियों की बैठक होगी।

अगर मु म प्र गणों की कोई शिकायतें हैं, तो कार्यकारी निदेशक के जरिए अ प्र नि को प्रस्तुत की जाएंगी।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।


श्रीलेखा नायर

महा प्रबंधक (मा सं)

प्र लि: समिति के सभी सदस्यों को

प्र लि: उ म प्र(मा सं)स : उ म प्र(मा सं)एम के : उ म प्र(मा सं)इ

प्र लि: सभी संभाग मुख्य / कार्य मुख्य

प्र लि: मु स अ : नि(वित्त) : नि (विपणन) : नि(त)

प्र लि: अ प्र नि